उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 18.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी क्षेत्रअन्तर्गत विगत दिनों हुए एक्सीडेंट में मृतक के पास से मोबाइल, अंगूठी व चैन निकालने वाले 03 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

दिनांक 16.09.2024 की रात्रि करीब 23.30 बजे जनपद महोबा के थाना चरखारी क्षेत्रअन्तर्गत संचालित पीआरवी को एक्सीडेंट का एक इवेन्ट प्राप्त हुआ, जिस पर पीआरवी द्वारा घायल व्यक्ति को उपचार हेतु जिला अस्पताल महोबा लाया गया, जहां उपचार के दौरान घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। प्रकरण में मृतक के परिजनों द्वारा लूट व हत्या की आशंका व्यक्त की गई जिस पर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चरखारी में मु.अ.सं. 216/24 धारा 103(1)/309(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल द्वारा इस घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया एवं घटना की गम्भीरता से जांच व घटना का सफल अनावरण किये जाने के लिये जनपद स्तर पर 04 टीमों का गठन किया गया था।

मृतक का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही के पश्चात मृतक के शव का शांतिपूर्ण अंतिम संस्कार किया जा चुका है । गठित चारों टीमो के अथक प्रयासों से घटना का सफल अनावरण किया गया है, जिसमें संज्ञान में आया है कि पी0आर0वी0 में नियुक्त कांस्टेबल जिसका नाम नीलकमल था जो अपने अन्य दो साथियों के साथ मिलकर मृतक के पास उपलब्ध 02 अदद एंड्राइड मोबाइल, 04 अदद अंगूठी व 01 अदद चेन को निकाल ली थी। इन 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.उमेशचन्द्र गुप्ता पुत्र स्व.रमेशचन्द्र गुप्ता निवासी मु0 मगरियापुरा थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा 2.जवाहर पाटकार पुत्र स्व.मुकुंदलाल निवासी मु0 जुगियानापुरा थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा 3.नीलकमल राय पुत्र सुशील कुमार राय निवासी मुफ्तीगंज थाना केराकत जनपद जौनपुर को पुलिस हिरासत में लिया गया है | तीनों अभियुक्तगणों से गहनता से पूछताछ कर शतप्रतिशत माल बरामद कर लिया गया है| उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना हाजा पर आवश्यक कार्यवाही करने के उपरांत मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा जायेगा।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष चरखारी उ0नि0 गणेश कुमार 2. उ0नि0 राजकुमार यादव
3. उ0नि0 सनय कुमार, चौकी प्रभारी कस्बा चरखारी
4. एसओजी प्रभारी उ0नि0 शिव प्रताप सिंह
5. सर्विलांस प्रभारी उ0नि0 रवि कुमार 6. उ0नि0 विवेक कुमार

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. उमेशचन्द्र गुप्ता पुत्र स्व.रमेशचन्द्र गुप्ता निवासी मु0 मगरियापुरा थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा उम्र करीब 32 वर्ष
2. जवाहर पाटकार पुत्र स्व.मुकुंदलाल निवासी मु0 जुगियानापुरा थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा उम्र करीब 47 वर्ष
3. नीलकमल राय पुत्र सुशील कुमार राय निवासी मुफ्तीगंज थाना केराकत जनपद जौनपुर उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी

मृतक के 02 अदद एंड्राइड मोबाइल कम्पनी टेक्नो व कम्पनी इन्फिनिक्स , 03 अदद अंगूठी सफेद धातु , एक अदद अंगूठी पीली धातु व 01 अदद चेन पीली धातु की (तीन टुकड़े में)।

जनपद महोबा के थाना कबरई क्षेत्र में संचालित डायल-112 पीआरवी में तैनात 2019 बैच के आरक्षी स्व0 सुभाष चन्द्र की ड्यूटी के दौरान रोडवेज बस से एक्सीडेंट होने पर दु:खद निधन पर महोबा पुलिस परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि।

दिनांक-17.09.2024 को जनपद महोबा के थाना कबरई क्षेत्र में संचालित डायल-112 पीआरवी वाहन संख्या UP 32DG 6329 में तैनात 2019 बैच के आरक्षी सुभाष चन्द्र पुत्र श्री प्यारे लाल निवासी मोहल्ला गांधीनगर थाना तिर्वा जनपद कन्नौज पीएनओ0-192560623 की ड्यूटी के दौरान रोडवेज बस से एक्सीडेंट होने पर दुःखद मृत्यु हो जाने पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल एवं महोबा पुलिस परिवार द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में आरक्षी के पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गयी एवं पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल सहित अन्य अधि0/कर्म0 द्वारा मौन धारण कर सलामी देकर शोक संवेदना व्यक्त की गयी एवं पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान सहित सशस्त्र गार्द के साथ उनके गृह जनपद कन्नौज भेजा गया। उक्त आरक्षी की असमय मृत्यु से समस्त महोबा पुलिस परिवार गमगीन है, दिवंगत आरक्षी के परिजनों/प्रियजनों के संबल हेतु हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल द्वारा दिवंगत आरक्षी के परिजनों से वार्ता कर शोक संवेदना व्यक्ति की गई है एवं परिजनों को पुलिस परिवार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी चरखारी रविकान्त गौंड, प्रतिसार निरीक्षक शिवकुमार, पीआरओ अरविन्द सिंह गौर सहित महोबा पुलिस परिवार के अधि./कर्म. सहित दिवंगत आरक्षी के परिजन/प्रियजन मौजूद रहे।

महोबा पुलिस

थाना खरेला की पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस किए गए बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंशल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्रों पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 18.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में गठित हुई पुलिस टीम ने थाना खरेला में पंजीकृत मु0अ0स0 103/24 धारा 288/352/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित एक नफर वांछित अभियुक्त मिथुन लोधी पुत्र सन्तराम लोधी उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम बल्लाय थाना खरेला जनपद महोबा को थाना क्षेत्र के परथनिया पुल के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, इस दौरान गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त की जामातलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुई। इस बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरेला में मु0अ0स0 104/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. थानाध्यक्ष सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया
2. का हरीप्रताप सिंह 03. काजीतेन्द्र सिंह 0

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

मिथुन लोधी पुत्र सन्तराम लोधी उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम बल्लाय थाना खरेला जनपद महोबा

बरामदगी विवरणः-

एक अदद तमंचा देशी 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई।

आज दिनांक 18.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 18.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश पुलिस

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने 16 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंशल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 18.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर शिवपाल सिंह द्वारा गठित की गई टीम उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह , उ0नि0 विकासधर दुबे व कां0 हरिओम यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखविर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र के ग्राम लुहेडी से अवैध शराब के साथ एक नफ़र अभियुक्त रघुवीर ढीमर पुत्र विहारी ढीमर उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम लुहेडी थाना श्रीनगर जनपद महोबा को हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से एक झोले में 16 क्वार्टर (पाउच) ठेका देशी शराब नाजायज की बरामदगी करते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बरामद नाजायज शराब के आधार पर अभि0 के विरूद्ध थाना श्रीनगर में मु.अ.सं. 195/24 अंतर्गत धारा 60 EX ACT पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह
2. उ0नि0 विकासधर दुबे
3. का0 हरिओम यादव

गिरफ्तार अभियुक्त –

रघुवीर ढीमर पुत्र विहारी ढीमर उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम लुहेडी थाना श्रीनगर जनपद महोबा

बरामदगी –

अभियुक्त के कब्जे से एक झोले में 16 क्वार्टर (पाउच) ठेका देशी शराब नाजायज बरामद होना।